

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग-2
संख्या-748(१)/XXX(2)/2010
देहरादून: दिनांक: २४ मई, 2010

अधिसूचना संख्या-748/XXX(2)/2010, दिनांक २४ मई, 2010 द्वारा प्रख्यापित “उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) (संशोधन) नियमावली 2010” की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव श्रीराज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
5. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
6. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड, हरिद्वार।
7. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर।
8. समस्त अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
9. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री रुड़की (हरिद्वार) को नियमावली की हिन्दी, अंग्रेजी प्रतियों को संलग्न करते हुए इस निवेदन के साथ प्रेषित कि कृपया नियमावली को विधायी परिशिष्ट भाग-4 मुद्रित करा कर इसकी 500 प्रतियों कार्मिक अनुभाग-2 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह हयांकी)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुमान-2
संख्या 746 /xxx (2) / 2010
देहरादून: दिनांक 28 मई, 2010

अधिसूचना

राज्यपाल, 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 में अग्रतर संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं—

उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) (संशोधन) नियमावली, 2010

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

- (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) (संशोधन) नियमावली, 2010 है।
(2) यह तत्काल प्रभाव से प्रदृष्ट होगी।

उत्तराखण्ड शब्द के स्थान पर
उत्तराखण्ड पढ़ा जाना।

- उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003, जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है, में जहाँ-जहाँ "उत्तराखण्ड" शब्द आया है वहाँ "उत्तराखण्ड" शब्द पढ़ा जायेगा।

नियम 4 के उपनियम (1),
का प्रतिस्थापन।

- मूल नियमावली में नियम 4 के उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रख दिया जायेगा; अर्थात् :—

"(1) कोई सरकारी सेवक जिसके आचरण के विरुद्ध कोई जाद अनुच्छात है या उसकी कार्यवाही चल रही है, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर जांच की समाप्ति के लम्बित रहने तक, निलम्बन के अर्दीन रखा जा सकेगा। निलम्बन आदेश में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा कि संबंधित कार्मिक के विरुद्ध अभिकथन इतने गम्भीर है कि उनके रक्षापित होने की दशा में दीर्घ शारित दी जा सकती है।

परन्तु निलम्बन तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कि सरकारी सेवक के विरुद्ध अभिकथन इतने गम्भीर न हों कि उनके रक्षापित हो जाने की दशा में सामान्यतः दीर्घ शारित का समुचित अधार हो राकता हो।

परन्तु यह और भी कि राज्यपाल द्वारा इस नियमित जारी आदेश द्वारा सशक्त संबंधित विभागाध्यक्ष समूह 'क' और 'ख' के सरकारी सेवक या सरकारी सेवकों के वर्ग को इस नियम के अर्दीन निलम्बित कर सकेगा;

परन्तु यह और भी कि समूह "म" और "घ" के किसी सरकारी सेवक या सरकारी सेवकों के वर्ग के मामले में नियुक्ति प्राधिकारी अपनी शक्ति इस नियम के अर्दीन अपने निम्नतर प्राधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगा।"

Dm

नियम 7 का प्रतिस्थापन।

4. मूल नियमावली के नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रख दिया जायेगा ;
अर्थात् :-

” 7- दीर्घ शास्तियों अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया -

किसी सरकारी सेवक पर कोई दीर्घ शास्ति अधिरोपित करने के पूर्ण निम्नलिखित रीति से जांच की जायेगी :-

(1) जब कभी अनुशासनिक प्राधिकारी की यह राय हो कि किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध अवचार या कादाचार के किसी लान्छन की सत्यता के बारे में जॉच करने के लिए आधार हो तो वह जॉच कर सकेगा।

(2) अवचार के ऐसे तथ्यों को जिन पर कार्यवाही का किया जाना प्रस्तावित हो, निश्चित आरोप या आरोपों के रूप में स्थानान्तरित किया जायेगा। जिसे आरोप-पत्र कहा जायेगा। आरोप-पत्र अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा।

परन्तु जहाँ गियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल हो वहाँ आरोप-पत्र संबंधित विभाग के यथारिति, प्रमुख सचिव या सचिव द्वारा हस्ताक्षरित किया जा सकेगा।

(3) विरचित आरोप इसने संक्षिप्त और स्पष्ट होंगे जिससे आरोपित सरकारी सेवक के विरुद्ध तथ्यों और परिस्थितियों के पर्याप्त उपदर्शन हो सकें। आरोप-पत्र में प्रस्तावित दस्तावेजी साक्षों और उसे सिद्ध करने के लिए प्रस्तावित गवाहों के नाम गौणिक साक्षों के साथ, यदि कोई हों, उल्लिखित किये जायेंगे।

(4) आरोप-पत्र उसमें उल्लिखित दस्तावेजी साक्षों की प्रति और साक्षियों की सूची और उनके कथन, यदि कोई हो, के साथ आरोपित सरकारी सेवक को व्यक्तिगत रूप से या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा कार्यालय अभिलेखों में उल्लिखित पते पर तामील की जायेगी, उपर्युक्त रीति से आरोप-पत्र तामील न कराये जा सकने की दशा में आरोप-पत्र को व्यापक परिचालन वाले किसी दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशन द्वारा तामील कराया जाएगा।

परन्तु जहाँ दस्तावेजी साक्ष्य विशाल हो वहाँ इसकी प्रति आरोप-पत्र के साथ प्रेषित करने के बजाय, आरोपित सरकारी सेवक को निरीक्षण करने की अनुमति दी जायेगी।

(5) आरोपित सरकारी सेवक से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह किसी विनिर्दिष्ट दिनांक को जो आरोप पत्र के जारी होने के दिनांक से 15 दिन से कम नहीं होगा, व्यक्तिगत रूप से अपनी प्रतिरक्षा में एक लिखित कथन प्रस्तुत करे जिसमें वह स्पष्ट रूप से सूचित करे कि वह आरोप पत्र में उल्लिखित सभी या किन्हीं आरोपों को स्थीकार करता है अथवा नहीं। आरोपित सरकारी सेवक से यह

ॐ

भी अपेक्षा की जायेगी कि वह यह कथन करे कि आरोप-पत्र में उल्लिखित किसी राक्षी का प्रतिपरीक्षा करना चाहता है और क्या वह अपनी प्रतिरक्षा में लिखित तथा गौणिक साक्ष देना या प्रस्तुत करना चाहता है। उसको यह भी सूचित किया जायेगा कि विनिर्दिष्ट दिनांक को उसके उपरिथित न होने या लिखित कथन दाखिल न करने की दशा में यह उफगारण की जायेगी कि उसके पास प्रस्तुत करने के लिए कुछ नहीं है और उसके विरुद्ध एक पक्षीय रूप से जाँच कार्यवाही प्रचलित की जायेगी।

(6) प्रतिरक्षा के लिखित कथन की प्राप्ति पर जहाँ सरकारी सेवक ने अपने लिखित कथन में आरोप-पत्र में उल्लिखित सभी आरोपों को स्वीकार कर लिया है वहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी ऐसी अभिस्थीकृति के दृष्टिगत यदि साक्ष की आवश्यकता समझे, तो ऐसा साक्ष जो वह ठीक समझे, लेने के पश्चात प्रत्येक आरोप के सम्बन्ध में अपने निष्कर्ष अभिलिखित करेगा और निष्कर्षों को घ्यान में रखते हुए यदि अनुशासनिक प्राधिकारी की यह राय हो कि नियम 3 में विनिर्दिष्ट कोई शास्ति आरोपित सरकारी रोपक पर अधिरोपित होनी चाहिए, तो वह अभिलिखित निष्कर्षों की एक प्रति आरोपित सरकारी सेवक को देगा और उससे उसका अभ्यावेदन, यदि वह ऐसा चाहता हो, एक युक्तिगुक्त विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा। अनुशासनिक प्राधिकारी, प्रत्येक आरोप के सम्बन्ध में अभिलिखित निष्कर्ष और आरोपित सरकारी सेवक के अभ्यावेदन संबंधित समर्त सुसंगत अभिलेखों को घ्यान में रखते हुए, यदि कोई हो, और इस नियमावली के नियम 16 के उपरबज्जों के अध्यादीन रहते हुए इस नियमावली के नियम 3 में उल्लिखित एक या अधिक शास्तियाँ अधिरोपित करते हुए एक युक्तिसंगत आदेश पारित करेगा और उसी आरोपित सरकारी सेवक को संसूचित करेगा।

(7) यदि सरकारी रोपक ने प्रतिरक्षा का कोई लिखित कथन पेश नहीं किया हो तो अनुशासनिक प्राधिकारी आरोपों की जाँच स्वयं कर सकेगा या यदि वह आवश्यक समझे तो उपनियम (8) के अधीन इस प्रयोजन के लिए जाँच अधिकारी नियुक्त कर सकेगा।

(8) अनुशासनिक प्राधिकारी, उन आरोपों की, जो सरकारी सेवक ने स्वीकार नहीं किये हैं, जाँच स्वयं कर सकेगा या यदि वह उचित समझे तो अपने अधीनरख किसी प्राधिकारी को इस प्रयोजन के लिए जाँच अधिकारी नियुक्त कर सकेगा जो कि यथा संभव आरोपित सरकारी रोपक के स्तर से कम से कम दो स्तर ऊपर का हो।

लिखा-

(9) जहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी ने उपनियम (8) के अधीन जांच अधिकारी नियुक्त किया है, वहाँ वह जांच अधिकारी को निम्नलिखित भेजेगा अर्थातः—

- (क) आरोप-पत्र और अवचार या कदाचार के विवरण की एक प्रति;
- (ख) सरकारी सेवक द्वारा पेश किये गये प्रतिरक्षा के लिखित कथन की, यदि कोई हो, एक प्रति;
- (ग) आरोप पत्र में निर्दिष्ट अभिलेखों का सरकारी सेवक को परिदान सिद्ध करने वाला साक्ष्य।
- (घ) आरोप पत्र में निर्दिष्ट साक्ष्य के कथनों की, यदि कोई हो एक प्रति।

(10) अनुशासनिक प्राधिकारी अथवा जांच अधिकारी, जिसके द्वारा भी जांच की जा रही हो, आरोप-पत्र में प्रस्तावित साक्षी को बुलाने की कार्यवाही करेगा और आरोपित सरकारी सेवक की उपरिधिति, मेरे जिसे ऐसे साक्षियों की प्रतिपरीक्षा को अवसर दिया जायेगा, उसके मौखिक साक्ष्य को अभिलिखित करेगा। उपर्युक्त साक्ष्य को अभिलिखित करने के पश्चात् जांच अधिकारी उस मौखिक साक्ष्य को मांगेगा और उसे अभिलिखित करेगा जिसे आरोपित सरकारी सेवक ने अपनी प्रतिरक्षा में अपने लिखित कथन में प्रस्तुत करना चाहा था ;

परन्तु ऐसे कारणों से जो लिखित रूप में अभिलिखित किये जायेंगे, किसी साक्षी को बुलाने से इन्कार किया जा सकेगा।

(11) अनुशासनिक प्राधिकारी अथवा जांच अधिकारी, जिसके द्वारा भी जांच की जा रही हो, उत्तर प्रदेश विभागीय जांच (साक्ष्यों को हाजिर होने और दस्तावेज पेश करने के लिए बाध्य करना) अधिनियम, 1976 (जो उत्तराखण्ड राज्य में उपर्युक्त पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के प्रविधानों के अन्तर्गत प्रभावी है), के उपबन्धों के अनुसार अपने समक्ष किसी साक्षी को साक्ष्य देने के लिए बुला सकेगा या किसी व्यक्ति से दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा।

(12) अनुशासनिक प्राधिकारी अथवा जांच अधिकारी जिसके द्वारा भी जांच की जा रही हो, सत्य का पता लगाने या आरोपी से सुसंगत तथ्यों का उधित प्रमाण प्राप्त करने की दृष्टि से किसी भी समय, किसी साक्षी से या आरोपित व्यक्ति से कोई भी प्रश्न, जो वह चाहे, पूछ सकता है।

(13) यहाँ आरोपित सरकारी सेवक जांच में किसी नियत दिनांक पर या कार्यवाही के किसी भी स्तर पर उसे सूचना तामील किये जाने या दिनांक की जानकारी रखने के बावजूद उपरिधित नहीं होता है, तो अनुशासनिक प्राधिकारी अथवा जांच अधिकारी, जिसके द्वारा भी जांच की जा रही हो, एक पक्षीय जांच की कार्यवाही करेगा और ऐसे मामले में आरोपित सरकारी सेवक की अनुपरिधिति में, आरोप-पत्र में उल्लिखित साक्षियों के कथन को अभिलिखित करेगा।

(14) अनुशासनिक प्राधिकारी, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझता हो, आदेश द्वारा उसकी ओर से आरोप के समर्थन में मामले को प्रस्तुत करने के लिए किसी

बिन्दु 13 से 16 तक
आतिरित लाइग्रेड

सरकारी सेवक या विधि व्यवसायी को जिसे प्रस्तुतकर्ता अधिकारी कहा जायेगा। नियुक्त कर सकता है।

(15) आरोपित सरकारी सेवक अपनी ओर से मामले को प्रस्तुत करने के लिए किसी अन्य सरकारी सेवक की सहायता ले सकता है किन्तु इस प्रयोजन के लिए किसी विधिक व्यवसायी की सेवा तब सक नहीं ले सकता है जब तक कि अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त प्रस्तुतकर्ता अधिकारी कोई विधि व्यवसायी न हो या अनुशासनिक प्राधिकारी ने मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसी अनुमति न दे दी हो।

(16) किसी जांच में संपूर्ण साक्ष्य को या उसके किसी भाग को सुनने तथा अभिलिखित करने के पश्चात् जब भी जांच करने वाले प्राधिकारी की अधिकारिता समाप्त हो जाए और उसके स्थान पर कोई अन्य ऐसा जांच प्राधिकारी पद ग्रहण कर ले जिसे ऐसी अधिकारिता प्राप्त हो और जो उसका प्रयोग करता हो तो इस प्रकार स्थान ग्रहण करने वाला उत्तरवर्ती जांच प्राधिकारी अपने पूर्ववर्ती द्वारा अभिलिखित अधार भागतः अपने पूर्ववर्ती द्वारा और भागतः स्वयं द्वारा अभिलिखित साक्ष्य के आधार पर आगे कार्रवाई कर सकेगा।

परन्तु यदि उत्तरवर्ती जांच प्राधिकारी की यह राय हो कि उन साक्षियों में से जिनका साक्ष्य पहले ही अभिलिखित किया जा चुका है, किसी की आगे परीक्षा न्याय के हित में आवश्यक है तो वह ऐसे किसी भी साक्षी को यथा पूर्व उपबंधित रूप में, पुनः बुला सकेगा तथा उसकी परीक्षा, प्रतिपरीक्षा और पुनःपरीक्षा कर सकेगा।

(17) यह नियम निम्नलिखित में लागू नहीं होगा; अर्थात् निम्न मामलों में जांच करने की आवश्यकता नहीं है:-

(क) जहाँ किसी व्यक्ति पर ऐसे आचरण के आधार पर कोई दीर्घ गारित अधिरोपित की जाती है जिसके लिए आपराधिक आरोप पर उसे सिफारिश ठहराया गया है, या

(ख) जहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी का ऐसे कारणों से जो उसके द्वारा लिखित रूप में अभिलिखित किये जायेंगे, यह समाधान हो जाता है कि इस नियमावली में उपबंधित रीति से जांच करना युक्तियुक्त रूप से व्यवहारिक नहीं है; या

(ग) जहाँ राज्यपाल का यह समाधान हो जाता है कि राज्य की सुरक्षा के हित में इस नियमावली में उपबंधित रीति से जांच किया जाना समीचीन नहीं है।"

३८

नियम 16 का प्रतिस्थापन।

5. मूल नियमावली में नियम 16 के स्थान पर निम्न लिखित नियम रख दिया जायेगा अर्थात् :-

“16 आयोग से परामर्श— इस नियमावली के अधीन राज्यपाल हासा’ किरी आदेश के पारित किये जाने के पूर्व समय—समय पर यथा रांशोधित उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 2003 के अधीन यथा अपेक्षित, आयोग से भी परामर्श किया जायेगा।”

आज्ञा से,

Shivraj Singh Chouhan

(डी. के.कोटिया)

प्रमुख सचिव।